# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 13/13 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2013/00133

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र मंगी
2. मोहन सिंह पुत्र मंगी
3. मिटठू पुत्र नत्थी (अवैट)
4. राजपाल } पिसरान मानकचन्द
5. गोपाल }
6. विजयपाल }
7. मुकेश पुत्र प्रेम
8. राम सिंह पुत्र प्रेम
9. चन्द्रवती पत्नी प्रेम
10. सुरशचन्द }
11. अर्जुन }
12. गोरेलाल } पिसरान फूलचन्द
13. राजवीर }
14. संजय }
15. बहादुर पुत्र कन्हैया
16. नाहर सिंह पुत्र कन्हैया
17. उत्तम सिंह पुत्र कन्हैया
18. रामकिशन पुत्र तुल्ला
19. महावीर पुत्र बाबू
20. जगवीर }
21. चेतेन्द्र } पिसरान बाबू
22. लोकेन्द्र }
23. विशनदेई पत्नी बृजेन्द्र

जाति जाटव निवासी ग्राम बॉसी विरहना तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पदम सिंह }
2. प्रताप सिंह } पिसरान रामचन्द्र जाति जाट निवासी बॉसी विरहना तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर भरतपुर दिनांक 04.02.2013 उनवान पदम सिंह बनाम राधेश्याम मु0न0 405/12

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुन्तल एडवोकेट उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 19.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 04.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के प्रार्थी रैस्पो0 के पूर्वज खातेदार विश्वेदार व शामिल देह में हिस्सेदार थे। उक्त साविक नम्बर गैर मुमकिन चाह का नम्बर था। जिसे प्रार्थी रैस्पो0 के पूर्वजो ने बनवाया था। कुँआ जब गैरजारी हो गया तो प्रार्थी रैस्पो0 के पिता ने उक्त नम्बर को गैत बाडो के रूप मे उपयोग करना शुरू कर दिया। अप्रार्थी अपीलाण्ट का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार कभी नहीं रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने संवत 2020 में प्रार्थी रैस्पो0 के पिता की बजाय जौधा वगै0 का इन्द्राज कर दिया जिनकी ना तो बल्दियत दर्ज है न सकूनत। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने अप्रार्थी अपीलाण्ट के नाम गलत रूप से खातेदारी अंकित की है। उक्त गलत इन्द्राजो की आड में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये अप्रार्थी अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिलं खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट के पूर्वजो का नाम जमाबन्दी संवत 2015 के खाना नम्बर 16 जो विशेष विवरण होता है में दर्ज है एवं रैस्पो0 के पूर्वजो का नाम जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 4 में दर्ज है, जो कि मालिको का होता है। संवत 2012 में समस्त जमीन के मालिक राज्य सरकार हो गयी और जो व्यक्ति उस पर काबिज था, को खातेदारी प्रदान कर दी गयी। इसलिये जो इन्द्राज खाना नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4 में थे वह गलत थे। क्योंकि मुताबिक कानून खाना नम्बर 4 मे राज्य सरकार दर्ज हो गयी एवं काश्त के आधार पर अपीलाण्ट को खातेदारी मिल गयी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पचासो वर्ष के खातेदारी इन्द्राजो को नहीं मानने में कानूनी त्रुटि की है। विवादित आराजी पिछले पचासो वर्षो से अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर ना तो कब्जा काश्त है एवं ना ही उनको किसी प्रकार के अधिकार हासिल हैं। विवादित आराजी पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का नाम चला आ रहा है एवं एक अनुसूचित व्यक्ति की खातेदारी की आराजी पर गैर अनुसूचित व्यक्ति को किसी प्रकार खातेदारी नहीं मिल सकती है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 की काश्त किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं है। अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के विरूद्ध 183 बी की कार्यवाही भी की, जिसमें रैस्पो0 को बेदखल किया गया। जिसकी अपील रैस्पो0 ने जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में की, जिसमें माननीय जिला कलक्टर ने 183 बी का आदेश केवल इस आधार से खारिज किया कि वर्तमान में नियमित वाद विचाराधीन है। अवैध अतिक्रमण को कब्जा नहीं माना जा सकता। रैस्पो0 ने विवादित आराजी बाबत् दीवानी दावा भी किया है। परन्तु उसे अधीनस्थ न्यायालय में कही भी नहीं बताया, उक्त तथ्य को छुपाते हुये दावा प्रस्तुत किया है। अतः रैस्पो0 स्वच्छ हाथो से नहीं आये। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2011(2) पेज 1318, 1419, 2012(2) पेज 1162, 1279, 2021(1) पेज 35, 2012(1) पेज 232 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। संवत 2011 की जमाबन्दी में रैस्पो0 के पूर्वजो की वहिस्सा बराबर खुदकाश्त दर्ज है इसी प्रकार संवत 2015 की जमाबन्दी में भी रैस्पो0 के पूर्वजो की खुदकाश्त दर्ज है। जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन में जिनकी खुदकाश्त थी वह स्वतः ही खातेदार हो गये। अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार तय होने हैं। विवादित आराजी पर कब्जा रैस्पो0 का ही चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने 183 बी की कार्यवाही की, जिसकी अपील रैस्पो0 द्वारा की गयी जो स्वीकार हुयी। दीवानी दावे कोई नहीं किया। यदि किया है तो अपीलाण्ट स्वयं सिद्ध करें। अपीलाण्ट के नाम किस प्रकार खातेदारी आयी, कोई आधार नहीं बताया। जब खातेदारी अधिकार अवैध हो, तो रिकार्डेड खातेदार को भी पाबन्द किया जा सकता है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2020 पेज 82, 83 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2011–15 में विवादित आराजी प्रार्थी/रैस्पो0 के पिता के नाम खुदकाश्त में दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत 2015–19 में भी प्रार्थी/रैस्पो0 के पिता के नाम खुदकाश्त के इन्द्राज हैं। वर्तमान में विवादित आराजी अप्रार्थी/अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अप्रार्थी/अपीलाण्ट को किस हैसियत से प्राप्त हुयी एवं विवादित आराजी बाबत् पक्षकारो के अधिकार विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगें। अप्रार्थी/अपीलाण्ट का दावा अन्तर्गत धारा 182 बी भी अपीलीय न्यायालय से खारिज हो चुका है। लिहाजा दौराने वाद विवादित आराजी को सुरक्षित रखने एवं वाद बहुलता को रोकने के लिये स्थगन निरापद है। जहॉ तक एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द किये जाने का प्रश्न है। इस बाबत् अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हमे अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने की ओर प्रवृत करती है। उक्त न्यायिक नजीर आरबीजे (27) 2020 पेज 83 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2013 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19.12.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर